न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–148/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. ऊषा पत्नि स्व0 फूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दांतिया तहसील कठूमर जिला अलवर ।

..... वादी/ अपीलांट

बनाम

1. घूड़या पुत्र तोताराम,
2. रमेश पुत्र तोताराम,
3. सोहनलाल पुत्र तोताराम,
4. अमरसिंह पुत्र आशाराम,
5. बच्चू पुत्र आशाराम,
6. धनीराम पुत्र आशाराम,
7. सामरिया पुत्र आशाराम,
8. श्रीमती नारायणी बेवा आशाराम,
9. गुड्डी बेवा बनैसिंह,
10. गब्बर सिंह पुत्र बनैसिंह,
11. सोनू पुत्र बनैसिंह,
12. कमलसिंह पुत्र बनैसिंह जाति खटीक निवासी ग्राम दांतिया तहसील कठूमर ।

..... असल प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टान

13. सब रजिस्ट्रार कठूमर जिला अलवर ।
14. रामजीलाल पुत्र लक्ष्मीचन्द,
15. महेश पुत्र लक्ष्मीचन्द,
16. भागचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द,
17. बाबूलाल पुत्र डालचन्द,
18. अशोक पुत्र डालचन्द,
19. राजेन्द्र पुत्र डालचन्द,
20. मनीराम उर्फ आमन्नी पुत्र ज्वाला प्रसाद – मृतक
    20/1. घनश्याम पुत्र मनीराम उर्फ आमन्नी,
    20/2. रामदयाल पुत्र मनीराम उर्फ आमन्नी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दांतिया तहसील कठूमर जिला अलवर ।
21. विजय कुमार पुत्र स्व0 फूलचन्द,

22. गुड्डी पुत्री स्व0 फूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दांतिया तहसील कठूमर जिला अलवर ।

..... तर0 प्रति0/रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री शैलेन्द्र भार्गव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री भरत जैन अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 949 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके साबिक ख0 नं0 768 रकबा 10 बिस्वा, 768/1 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम डहरीन दांतबाड़ तहसील कठूमर में स्थित है । लक्ष्मीचन्द, फूलचन्द, मनीराम उर्फ आमन्नी, डालचन्द चार भाई थे जिनमें से मनीराम को छोड़ शेष तीना भाई फौत हो गये । लक्ष्मीचन्द के तीन लड़के तथा डालचन्द के तीन लड़के हैं । फूलचन्द के वारिसान उनकी बेवा मु. उषादेवी लड़का विजयकुमार व एक लड़की गुड्डी देवी है । लक्ष्मीचन्द, डालचन्द व फूलचन्द का विरासत इन्तकाल तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम व वादीगण के नाम हो चुका है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज हैं । विवादित आराजी लक्ष्मीचन्द, फूलचन्द, डालचन्द, मनीराम उर्फ आमन्नी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है तथा साबिक रेकार्ड में विवादित आराजी चारों भाईयों की खातेदारी में दर्ज है व सालिम आराजी पर चारों भाईयों का कब्जा चला आ रहा है जिस आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा तरतीब प्रतिवादी सं0 14 ल0 16 का 1/4 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी सं0 17 ल0 19 का 1/4 हिस्सा है व तरतीबी प्रतिवादी सं0 20 का 1/4 हिस्सा है । मौके पर चारों भाईयों ने स्वयं के जीवित रहते हुए अपनी समस्त कृषि भूमि का घरेलू बंटवारा कर लिया था जिस बंटवारें में विवादित आरजी सालिम वादीगण के पिता फूलचन्द के कब्जे व हिस्से में आयी थी जिस पर पहले फूलचन्द स्वयं जीवित रहते हुए काश्त करते थे तथा उनके फौत होने के बाद वादीगण स्वयं विवादित आराजी सामि को काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर काबिज है जिस आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । प्रतिवादीगण के पिता आशाराम व तोता चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति थे जिन्होंने बन्दोबस्त कर्मचारियों से साजबाज होकर विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा स्वयं के नाम गलत तौर पर खातेदारी में दर्ज करवा लिया जो हाल बन्दोबस्त इन्द्राज गलत हैं तथा वादीगण के ख़िलाफ शून्य है व वादीगण विवादित आराजी की घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी हैं । बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी बाबत असल प्रतिवादीगण के पिता के नाम गलत खातेदारी दर्ज की है जिस बाबत बन्दोबस्त विभाग को कोई हक व अधिकार नहीं है तथा उन्हें पूर्व इन्द्राजात को

ही रिपीट करना चाहिए था । गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते हैं । विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा वादीगण व 3/4 हिस्सा तर0 प्रतिवादीगण की खातेदारी का है । घरेलू बंटवारा में सालिम आराजी हम वादीगण के कब्जे में आयी है । अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 ल0 12 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद दि0 04.10.2012 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 04.10.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का दावा तहत न्यायालय ने दि0 4.10.2012 को साबित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया । विवादित आराजी 4 भाईयों के नाम 1/4–1/4 हिस्से में थी । आपसी बंटवारे में फूलचन्द के हिस्से में आराजी आ गयी । इसमें कोई विवाद नहीं है । बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में 1/3 भाग प्रतिवादी के नाम कर दी तथा 2/3 हिस्सा वादीगण के नाम रहा है । फूलचन्द के वारिसान का कहना है कि उक्त समस्त आराजी आपसी बंटवारे में हमारे नाम आ गयी । बन्दोबस्त ने इस समस्त आराजी का 1/3 भाग प्रतिवादी के नाम कर दिया । यही विवाद का विषय है और हम यही रीलीफ चा रहे हैं कि इस 1/3 हिस्से को प्रतिवादी के नाम किया है, वह गलत है । प्रतिवादी सं0 1 ल0 12 के नाम गलत इन्द्राज किये हैं, ये असल प्रतिवादी हैं, शेष को हमने तरतीबी प्रतिवादी बनाया है । मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल ख0 नं0 949 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व साबिक ख0 नं0 768 रकबा 10 बिस्वा व 768/1 रकबा 2 बीघा बने हैं । हमने तहत न्यायालय में रेकार्ड बन्दोबस्त से पूर्व का पेश नहीं किया । इस आधार पर हमारा दावा खारिज कर दिया । अब इस न्यायालय में हमने जमाबन्दी सम्वत् 2009, 2012, 2013–16 व 2018 पेश की है जिसमें ख0 नं0 768/1 रकबा 2 बीघा चारों भाईयों के नाम है । आर.आर.टी. 2012 पेज 1395 में निर्धारित किया गया है कि जमाबन्दी एक अहम दस्तावेज है तथा पब्लिक दस्तावेज है तथा रेकार्ड में मान्य है । अतः अपीलेट कोर्ट को पावर है कि वह दावा डिक्री करें । एडमिशेबल दस्तावेज होने से अपीलेट कोर्ट भी डिक्री कर सकता है । प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है कि उसे प्रदर्श किया जावें । तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई कोन्टेस्ट नहीं है । इसलिए मेरा दावा सही मानकर डिक्री किया जावें । उन्होनें अपने कथन की ताईद में 2001 आर.बी.जे. पेज 170, आर.बी.जे. 2006 पेज 205, 2015 आर.आर.टी. पेज 1214, 2012 आर.आर.टी. पेज 1395 पेश की ।

विद्धान अभिभाषक असल रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की है । इसलिए मियाद के बिन्दु को पहले तय किया जावें । अपीलांट ने मियाद कन्डोन करने का कोई उचित कारण दर्शित नहीं किया है । इसलिए मियाद के बिन्दू पर अपील अपीलांट काबिले खारिज है ।

मैरिट पर बहस करते हुए अभिभाषक असल रेस्पो0 का कहना है कि ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया कि वक्त टिनेन्सी एक्ट लागू होने के समय ये अधिकारी थे । अपीलांट हाल नं0 949 बता रहे हैं । तहत न्यायालय ने कहा है कि साबिक खसरा नम्बर और हाल नम्बर मेल नहीं खाते हैं । अपील मीमों का अवलोकन कराया जिसमें खसरा नम्बर मेल नहीं खाते हैं । ख0 नं0 249 बता रहे हैं । बन्दोबस्त से पूर्व ही हमारा 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है । दावे में अपीलांट 1/4 हिस्सा मांग रहे हैं । इनका न तो बंटवारा हुआ और न हिस्से में आया तो अपीलांट पूरा हिस्सा कैसे मांग रहे हैं । ऊषा की जिरह पढ़ी जिसमें दूसरी व तीसरी पक्ति में 5–6 वर्ष से कब्जा कर लिया । अतः घोषणा का दावा नहीं चल सकता है । अब तो इन्हें कब्जा प्राप्ति के लिए 183 आर.टी.एक्ट में दावा की रीलीफ मांगनी चाहिए । कल्ला वगैरा असल रेस्पो0 हैं । एक्जी. 2 जमाबन्दी सम्वत् 2018 हमारे पक्ष में है जो वादी ने पेश की है । ये बन्दोबस्त से पूर्व का रेकार्ड है । तनकीवार निर्णय का अवलोकन किया जिसमें तनकी सं0 1, 3 का निर्णय में बन्दोबस्त ने कोई इन्द्राज चैलेन्ज नहीं किया । अपीलांट/वादी ने जो खसरा नम्बर के रेकार्ड 2009–12 की खैवट आदेश 41 नियम 27 के साथ पेश की है वह रिलीवेन्ट नहीं है । ये ख0 नं0 769 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा है, वह अलग है । कॉलम 4 में वादीगण के पूर्वजों के नाम नहीं है । कॉलम 5 में वल्दियत नहीं है, लक्ष्मीचन्द कौन है, नम्बर दूसरा है, खातेदारी भी नहीं है तथा इनका विवाद भी नहीं है । सम्वत् 2013–16 की जमाबन्दी के खाता सं0 434 के कॉलम सं0 4 में लक्ष्मी वगेरा है, अपीलांट का नाम नहीं है, वल्दियत नहीं है तथा खातेदार भी नहीं हैं । अपीलांट ख0 नं0 768/1 नहीं है । यह 768 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का है । अपीलांट ख0 नं0 768 को 10 बीघा बता रहे हैं । जमाबन्दी सम्वत् 2018 के कॉलम सं0 4, 5 में कुछ नहीं है केवल ख0 नं0 768 की जगह 769/1 दर्ज है । इस प्रकार से बन्दोबस्त से पूर्व के रेकार्ड का ही अंकन है । तहत न्यायालय में अपीलांट ने साक्ष्य व दस्तावेज क्यों पेश नहीं किये तथा साबिक रेकार्ड से खसरा नम्बर मेल नहीं खाते हैं । विवादित आराजी पर कब्जा हमारा है । तहत न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में 1964 आर.आर.डी. पेज 338, 1996 आर.आर.डी. पेज 28, 2006 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 2097 व 2007 आर.आर.डी. पेज 681 पेश की ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपील मात्र 15 दिन विलम्ब से पेश की है । अपीलांट अनपढ़ है । इसलिए मियाद कन्डोन करते हुए अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया । टाईपिंग की गलती से ख0 नं0 949 की जगह 249 अंकित कर दिया । प्रत्येक सह खातेदार का समस्त आराजी में कब्जा माना जावेगा । साबिक रेकार्ड में वल्दियत सही है । जमाबन्दी में चारों भाईयों के नाम है तथा पिता का नाम नहीं है । ख0 नं0 768 सही है । ख0 नं0 769 की जगह 768 ही है । तहत न्यायालय ने पढ़ने की गलती की है । जमाबन्दी सम्वत् 2009–12 की है । इसमें सभी चारों के नाम है । अपीलांट ने पूर्व व बाद के इन्द्राज पेश किये हैं । हम चारों भाईयों का आन्तरिक मामला है । अपीलांट तो केवल 1/3 हिस्सा मांग रहे हैं । तहत न्यायालय ने ये कहा है कि रेकार्ड पेश नहीं कर पाये तो यहां अपर कोर्ट में रेकार्ड पेश किये हैं । जब चारों भाईयों का नाम है तो वल्दियत मायने नहीं रखती है । शपथपत्र है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया । अपीलांट अभिभाषक का कहना है कि तहत न्यायालय में उन्हें साबिक रेकार्ड पेश नहीं किया । यहां पेश किया है, वह स्पष्ट रूप से तय करेगा कि वाद वादी डिक्री योग्य है या खारिज योग्य है । हमने तहत न्यायालय के निर्णय में यही पाया कि खसरा नम्बर हाल का साबिक रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पेश नहीं है ।

अपील में पेश साबिक रेकार्ड का परीक्षण किया जाकर यह तय किया जाना है कि वह मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सही है या गलत है या मैच हो रहा है या नहीं ? इसी आधार पर तहत न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2012 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय में पेश साबिक रेकार्ड का अवलोकन करके तथा मिलान करके उभयपक्षों को सुनकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर